


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प सीवा (म०प्र०)



C.F. 24-201

श्रीमती आशा सैनी, पत्नी श्री अशोक कुमार सैनी, निवासी कोतमा, थाना व तह० कोतमा, जिला अनूपपुर (म०प्र०)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती रमा श्रीवास्तव पत्नी यज्ञनारायण श्रीवास्तव, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रं. 12, अमरकंटक तिराहा, चचाई रोड अनूपपुर (म०प्र०) वास्तविक निवास-घरौला मोहल्ला, वार्ड नं. 15 कमिश्नर निवास के पीछे, विवेक श्रीवास्तव के मकान में शहडोल, जिला शहडोल (म०प्र०)
2. सुश्री सुधा द्विवेदी, उम्र 47 वर्ष, आत्मजा अयोध्या प्रसाद द्विवेदी, निवासी अमरकंटक तिराहा वार्ड नं. 12, चचाई रोड अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म०प्र०)
3. भीखू उर्फ भीखम राठौर, उम्र 62 वर्ष, पिता स्व० हीरालाल राठौर, निवासी ग्राम सामतपुर, थाना व तह० अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म०प्र०)
4. म०प्र० शासन, जरिये जिलाध्यक्ष

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 02-11-2012 जो न्यायालय श्रीमान् आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 162/अपील/ 2010-11 में पारित किया जो अपर कलेक्टर, अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 156-अ-21/ 2009-10 के आदेश दिनांक 29-10-2010 से उद्भूत हुआ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता।

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है:-


1. यह कि ग्राम सामतपुर ज० नं० 975 पट० हल्का अनूपपुर, तहसील व जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.371-II/13

जिला-~~सहजपुर~~ मन्दापुर

आशा सैनी/रमा श्रीवास्तव

(1)	(2)	(3)
24.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	